



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)
SITTING NOTICE

फाइल सं NCST/SER-535/DL/23/2022-SSW

दिनांक :- 27.05.2024

सेवा में

Shri Satyendra Kumar Mishra
Chairman-cum-Managing Director
AI Assets Holding Limited
Air India Reservation
Building, 2nd Floor, Safdarjung Airport,
New Delhi – 110003
Email:- cmd@aiah.in

विषय:- एयर इन्डिया के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ उत्पीड़न एवं पी.एफ तथा पेशन जारी न करने के संबंध में -सुश्री लता रानी शहरावत, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव महिला विंग, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली दिनांक 16.08.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ:- Dy.GM (Pers), Air India HQ Email dated 16.05.2023 from (vikas.gupta@airindia.com) addressed to CEO, AIASL and copy to CMD, AIAHL and Court Officer, NCST

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 07.06.2024 को 02:20 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से सम्बंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्या के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिती को वाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(मिरांडा इंगुदम/Miranda Ingudam)

निदेशक / Director

Tel:- 011-20819841

Email:- m.ingudam@sansad.nic.in